



प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एकसीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन (म.प्र.)

E-Mail : hegpgckhr@mp.gov.in Fax No. : +91-7282-241963 Phone No. : +91-7282-241562

क्रमांक : 3649/2025

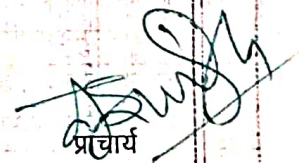
खरगोन, दिनांक :- 19.11.2025

आमंत्रण सूचना

महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति द्वारा नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिये शासकीय महाविद्यालय भगवानपुरा में नितांत अस्थाई आधार पर अध्यापन कार्य हेतु विजिटिंग फैकल्टी की आवश्यकता है। इच्छुक आवेदकों से आवश्यकता अनुसार अथवा तीन माह तक जो भी पूर्ववर्ती हो के लिए आवेदन दिनांक 24.11.2025 शाम 05:00 बजे तक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एकसीलेंस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन को प्रेषित करना सुनिश्चित करे। अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण म.प्र. शासकीय सेवा का भाग नहीं है तथा वे लोक सेवक नहीं होकर पूर्णतः (अंशकालिन) अस्थायी तथा सिमित समयावधि के लिये होंगे।

क्र.	विषय	पद संख्या	अनिवार्य योग्यता
1	प्राणीशास्त्र	01	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर/नेट/सेट/ पी.एच.डी. धारकों को वरीयता, यु.जी.सी. एवं उच्चशिक्षा म.प्र. शासन भोपाल के मापदंड अनुसार
2	वनस्पति शास्त्र	01	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर/नेट/सेट/ पी.एच.डी. धारकों को वरीयता, यु.जी.सी. एवं उच्चशिक्षा म.प्र. शासन भोपाल के मापदंड अनुसार
3	समाज शास्त्र	01	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर/नेट/सेट/ पी.एच.डी. धारकों को वरीयता, यु.जी.सी. एवं उच्चशिक्षा म.प्र. शासन भोपाल के मापदंड अनुसार
4	राजनीति शास्त्र	01	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर/नेट/सेट/ पी.एच.डी. धारकों को वरीयता, यु.जी.सी. एवं उच्चशिक्षा म.प्र. शासन भोपाल के मापदंड अनुसार

- टीप:- 1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन तथा यु.जी.सी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं प्रक्रिया के अनुसार बनी गुणानुक्रम सूची के आधार पर चयन होगा।
2. प्रत्याशी अपने आवेदन में अपना पूर्ण शैक्षणिक विवरण, डाक का पता एवं मोबाईल नंबर सहित लिखें साथ में स्वयं का अद्यतन फोटो सहित आवश्यक अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण - पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ सलग्न करे।
3. मानदेय 500 रु प्रति दिवस देय होगा। महा में अधिकतम दस हजार रु देय होगा।
4. नियुक्ति अधिकतम 89 दिवस के लिए होगी।
5. चयनित फैकल्टी को प्रतिदिन समस्त निर्धारित कार्य करने की बाध्यता रहेंगी। किसी भी विजिटिंग फैकल्टी की सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य एवं सचिव को होगा।
6. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा आंशिक संशोधन करने के समस्त वैधानिक अधिकार है।


प्राचार्य

शास. स्नात. महाविद्यालय,
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन (म.प्र.)